



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 पौष 1941 (श10)

(सं० पटना 1374) पटना, मंगलवार, 31 दिसम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

31 दिसम्बर 2019

एस० ओ० 415, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019—बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 21, 2019), की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, 1 जनवरी, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 21, 2019) की धारा 2, धारा 7, धारा 10, धारा 13 से 20, धारा 22 एवं धारा 23 के सिवाय, उसके उपबंध लागू होंगे।

[(सं० सं० बिक्री-कर/संशोधन-02/2019-3943)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

31 दिसम्बर 2019

एस० ओ० 415, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री-कर/संशोधन-02/2019-3943)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 31st December 2019

S.O. 415, dated the 31st December 2019--In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019 (Bihar Act 21, 2019), the Governor of Bihar hereby appoints the 1st day of January, 2020, as the date on which the provisions of the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act,

2019 (Bihar Act 21, 2019), except section 2, section 7, section 10, sections 13 to 20, section 22 and section 23, shall come into force.

[(File No. Bikri kar/Sansodhan-02/2019-3943)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1374-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>